संख्या:21/2023/2346630/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2023

विषयः- फसलों की उत्पादक्ता के आकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराये जाने वाले क्राप-कंटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वरा बनाये गये **CCE Agri App** के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत दैवीय आपदा के कारण अधिसूचित फसलों को क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण सांख्यिकीय विधि से राजस्व कार्मिकों के द्वारा सम्पादित कराये गये फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त उपज के अनुमानों के अनुसार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए, कराने के कारण वर्तमान समय में आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुयी है, जिसके कारण कहीं न कहीं यह आवश्यक है कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इनके सम्पादन हेतु पूर्व से प्रचलित सांख्यिकीय विधि के साथ ही साथ तकनीक का भी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। यह भी सूच्य है कि फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के ऑकड़ों का उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के साथ ही साथ प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा भी अपने खाद्य नीति के निर्धारण तथा अन्य शासकीय कार्यों में किया जाता है।

3. फसल कटाई प्रयोगों को और प्रभावी एवं सुतथ्य बनाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-11019/04/2019-क्रेडिट-।। दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा क्राप कटिंग प्रयोग को भारत सरकार द्वारा विकसित CCE Agri App द्वारा सम्पादित कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. प्रदेश की प्रमुख फसलों के आच्छादन एवं उपज के सही-सही ऑकलन के सम्बन्ध में राजस्व परिषद, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-आर-298/क्रा0क0/पड़ताल/दिनांक 31 अगस्त, 2022 एवं परिपत्र संख्या-आर-328/10-7-35/2022-23 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 तथा परिषद के ही पत्र संख्या आर-372/क्रा0क0/ CCE Agri App/रबी 2022-23 दिनांक 15 फरवरी, 2023 द्वारा भी अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. क्राप कटिंग प्रयोगों को CCE Agri App के माध्यम से सम्पादित कराने हेतु वर्ष-2019 में राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त प्राथमिक राजस्व कार्मिकों यथा-लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों को स्मार्टफोन उपलब्ध् कराये गये हैं। साथ ही इस कार्य को करने हेतु प्रत्येक फसली वर्ष के खरीफ व रबी मौसम में प्रारम्भ में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक तहसीलों में आयोजित किए जाते हैं।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आगामी रबी मौसम से प्रत्येक दशा में क्राप कटिंग प्रयोगों का सम्पादन CCE Agri App के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाईयॉ सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:-

I. जनपद के भूलेख अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जिलाधिकारी कार्यालय भूलेख अनुभाग में तैनात अपर सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा CCE Agri App पर समस्त राजस्व कार्मिकों का (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षक) प्राइमरी यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए।

II. उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि रबी 2022-23 मौसम मे सम्पादित होने वाले फसल धान के कटाई प्रयोगों का सम्पादन राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों) द्वारा शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से CCE Agri App से करायें। साथ ही प्रयोगों हेतु निर्धारित तालिका नं0-2 भी भरें। चयनित खेत, उपज की तौल एवं टेबिल नं0-2 की फोटो भी अपलोड करें तथा क्रापकटिंग से प्राप्त ऑकडें तहसीलदार के द्वारा अनुमोदन के उपरान्त जनपद के भूलेखाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

III. फसल कटाई का जनपद एवं मण्डल स्तर के राजस्व, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण हेतु अधिक से अधिक गॉवों का आवंटन किया जाए।

IV. जिलाधिकारी के स्तर से क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन का निरीक्षण करने हेतु नामित जनपदीय अधिकारी यथा-राजस्व, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारी अपने आवंटित ग्रामों के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय भ्रमण के समय अन्य ग्रामों में भी सम्पादित कराये जा रह क्राप-कटिंग प्रयोगों का भी आकस्मिक निरीक्षण करें।

V. क्राप-कटिंग प्रयोग से सम्बन्धित तालिका नम्बर- 1 व 2 को निर्धारित समयान्तर्गत तहसीलदार के माध्यम से भूलेख अधिकारी को प्राप्त कराया जाए, तत्पश्चात भूलेख अधिकारी द्वारा प्राप्त तालिकाओं को राजस्व परिषद को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाएगा।

VI. ऑकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

VII. समस्त जनपदों में पड़ताल का कार्य प्रत्येक दशा में राजस्व परिषद द्वारा खसरा पड़ताल हेतु निर्मित पोर्टल पर 1429 फसली (वर्ष 2021-22) दिनांक 31 मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए।

VIII. इस विषयगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक/वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सूचना राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में आगामी रबी मौसम से फसलों की उत्पादकता के आकलन हेतु सांख्यिकी विधि से कराये जाने वाले क्राप-कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वरा बनाये गये CCE Agri App के माध्यम से कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्राप कटिंग प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या:21/2023/2346630(1)/1440478/12-2099/161/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफबीवाई, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2022 के क्रम में।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
(3) कृषि निदेशक, उ0प्र0।
(4) निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।